न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प गडरारोड़

पीठासीन अधिकारी -- श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 15/2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट
फोटा पुत्र मलूक जाति मुसलमान निवासी पनेला तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गडरारोड़

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 5.12.2016 बमुकदमा संख्या 14/2016 द्वारा तहसीलदार गडरारोड।

उपस्थित– 1. अपीलांट उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट तहसीलदार गडरारोड़ उपस्थित।

आदेश दिनांक 13.06.2018

1. अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रकरण संख्या 14/2016 में पारित आदेश दिनांक 5.12.2006 के विरूद्व धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का तामलोर ने तहसीलदार गडरारोड़ के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया कि अपीलांट फोटा ने संवत् 2073 में मौजा पनेला के खसरा नंबर 62 रकबा 6 बीघा किस्म बा.चा. भूमि पर नाजायज कब्जा व ग्वार की काश्त की जाकर अतिक्रमण किया है। इस पर तहसीलदार गडरारोड़ ने प्रकरण संख्या 14/2016 दर्ज कर बाद, जांच एवं सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.12.2016 द्वारा अपीलांट को पश्चात्वृति अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये, 10/– रूपये जुर्माना आरोपित किया एवं एक माह की सिविल

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

कारावास की सजा भुगताने के भी आदेश पारित किये। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने हमारे समक्ष पेश की है।

3. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कोर्ट केम्प गडरारोड़ में पेश हुई, जिसके लिए पक्षकारान को नोटिस की तामीली करा दी गई थी। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट उपस्थित हुए।

4. हमने दोनों पक्षो की बहस सुनी। अपीलांट द्वारा कथन किया कि वह भूमिहीन एवं गरीब काश्तकार है। अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व उसको समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं उसकी अनुपस्थिति में एकतरफा आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल है। अपीलांट पश्चातवृति अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट द्वारा विवादग्रस्त भूमि से अतिक्रमण हटा दिया है, जुर्माना की राशि अदा कर दी है। भविष्य में इस भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने हेतु बंध पत्र पेश कर सिविल कारावास की सजा को माफ करने का निवेदन किया। इसके जवाब में रेस्पोडेंट तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा जाहिर किया कि अपीलांट ने संवत् 2072 में भी अतिक्रमण किया था एवं उसे बेदखल किया गया था। अपीलांट ने इस भूमि पर संवत् 2073 में पुनः अतिक्रमण किया है। अपीलांट पश्चातवृति अतिक्रमी है। अपीलांट की अतिक्रमण करने की प्रवृति को छुडाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह सही है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

5. हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के कथनों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली एवं तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पटवारी हल्का तामलोर की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा मौजा पनेला के खसरा नंबर 62 रकबा 6 बीघा किस्म बा.चा. भूमि पर नाजायज कब्जा व ग्वार की काश्त की जाकर अतिक्रमण करने पर अपीलांट के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर, अपीलांट को सुनवाई हेतु पेशी तारीख 7.11.2016 को नोटिस जारी किया गया, अपीलांट नोटिस तामील होने पर पेशी तारीख 7.11.2016 को न्यायालय में उपस्थित हुआ। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान अनुसार अपीलांट द्वारा इस भूमि पर संवत् 2072 में भी अतिक्रमण किया गया था जिस पर मुकदमा संख्या 683/2015 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

29.10.2015 द्वारा अतिक्रमी घोषित कर प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश दिये गये थे। इससे यह प्रकट हैं कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट पश्चातवृति अतिक्रमी है। अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हैं कि अपीलांट द्वारा दोबारा अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं सिविल कारावास भुगताने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह सही एवं न्यायोचित है। इस स्टेज पर अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट भूमिहीन एवं गरीब काश्तकार है। अपीलांट ने जुर्माना की राशि अदा कर दी है व भूमि से कब्जा हटा दिया है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जाए। इस संबंध में तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी ने वर्तमान में अपना कब्जा हटा लिया है और अतिक्रमित भूमि वर्तमान में खाली है एवं सरकारी कब्जे में है। इन तथ्यों पर हमने मनन किया। अपीलांट ने राजकीय भूमि पर किया गया कब्जा छोड़ दिया है और अतिक्रमित भूमि खाली एवं सरकारी कब्जे में है। लिहाजा अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुए सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय कोर्ट केम्प गडरारोड़ में आज दिनांक 13.06.2018 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)